कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 12/2001 दिनांक 30/31-3-2001 को प्रात: 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री आर.एस. गठाला, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री जी.पी. पाण्डे, निदेशक(विधि) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक(वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री आर. दयाल, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव)जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री वी.पी. सिंह, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ए.एन. गुप्ता, उपायुक्त, जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 9/2001 दिनांक 14-3-2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु - समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(2) भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 11/2001 दिनांक 24-3-2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु - समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(3) एजेण्डा आईट्मस-

3.1- एजेण्डा सं0 12/2001-1 :- श्रीगोविन्द गृ.नि.स. समिति की योजना गोविन्द नगर पश्चिम-प्रथम के भूखण्ड सं0 203 बी बाबत :-

जोन से प्राप्त एजेण्डा का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं उपायुक्त, जोन ए-2 द्वारा बताये गये तथ्यों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया । साथ ही प्रार्थी श्री दीनदयाल सैन.को भी सुना गया । विचार-विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये -

1- समिति द्वारा पूर्व में अस्वीकृत भूखण्ड सं0 203ए, 203 एवं 203 बी उनके सामने 25 फिट चौड़ी रोड़ रखते हुए स्वीकृत किये गये । जिसमें

362

भूखण्ड् सं0 203 बी की दिशा जो पूर्व में उत्तर-दक्षिण थी उसको 25 फिट चौड़ी सड़क के सामने रखते हुए पूर्व-पश्चिम किया गया तथा इस भूखण्ड् की चौड़ाई मौके पर बने टैंक तक रखी जाये ।

2- सड़क सीमा में किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण को हटाया जाये एवं अनाधिकृत रूप से निर्मित फैक्टरी को ध्वस्त किया जाये ।

3·2- एजेण्डा सं0 12/2001-2 :- इन्द्रा नगर गृ·नि·स· समिति की योजना नित्यानन्द नगर "ए" क्वीन्स रोड़ के भूखण्ड़ों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि दिनांक 30-3-2001 के कैम्प में तृतीय ब्लॉक के भूखण्ड़ सं0 ए106 से ए117 (कुल 12 भूखण्ड़) के पैसे जमा कर लिए जाये एवं कैम्प के बाद भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक दिनांक 22-8-2000 में योजना के सन्दर्भ में लिये गये निर्णयानुसार परीक्षण कर योजना के सुविधा क्षेत्र का पूर्ण प्रकरण पुन: निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

3·3- एजेण्डा सं0 12/2001-3 :- गुलाबबाड़ी गृ·नि·स· समिति की योजना महादेव नगर के अनुमोदित मानचित्र में संशोधन बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि, मौके पर जांच करने के पश्चात्, उपायुक्त, जोन बी-2 की रिपोर्ट के आधार पर भूखण्ड़ के नंबर बदल दिये जाये ।

3·4- एजेण्डा सं0 12/2001- 4 :- पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 10 बी में एच·टी· लाईन हट जाने के कारण भूखण्ड़ों को अनुमोदित करने व 20 फिट सर्विस लेन देने के संबंध में :-

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर योजना के भूखण्ड़ सं0 45,46, 51, 52, 132, 267, 268, 279 व 280 पर से एच·टी· लाईन हट जाने के कारण इन भूखण्ड़ों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया । परन्तु एजेण्डा में प्रस्तावित भूखण्ड़ सं0 132 व 133 के पास से 20 फिट चौड़ी सर्विस लेन सुविधा क्षेत्र से होकर देने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया ।

....3

3·5- एजेण्डा सं0 12/2001-5 :- महावीर नगर के योजना मानचित्र भूखण्ड सं0 एस- 262 एवं एस- 296 के एरिया में परिवर्तित करने के संबंध में :-

उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा प्रार्थी डॉ0 सी·एम· भण्डारी को भी सुना गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया । विचार-विमर्श के पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मौके पर उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को अनुमोदित भूखण्ड सं0 एस- 262 एवं एस- 296 का भाग मानने की स्वीकृति दी गयी ।

3·6- एजेण्डा सं0 12/2001-6 :- हाई टेन्शन लाईन हट जाने के कारण शिल्पाचार्य की किशन नगर योजना के भूखण्डों का अनुमोदन करने बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं योजना मानचित्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया । योजना के भूखण्ड सं0 157, 158, 167, 168 के ऊपर से हाई टेन्शन लाईन हट जाने के कारण अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

3·7- एजेण्डा सं0 12/2001-7 :- भूखण्ड सं0 ए-43 एवं ए-44 के साईड सैट बैक के संबंध में निर्णय हेतु :-

उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 ए-42, ए-43 एवं ए-44 की वास्तविक निर्माण व उपलब्ध सैट बैक की स्थिति प्रस्तुत की जाकर पत्रावली पर निर्णय करवाया जाये ।

3·8- एजेण्डा सं0 12/2001- 8 :- मित्र गृ·नि·स· समिति की योजना लाल बहादुर नगर के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कोपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा उपलब्ध करवाये गये प्रपत्रों एवं प्रपत्रों के साथ भेजे गये योजना मानचित्र एवं समिति की मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित योजना मानचित्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं समिति की मंत्री श्रीमती उर्मिला भार्गव को भी सुना गया । विचार-विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की मंत्री द्वारा

....4

जो योजना मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें समिति संशोधन कर आवासीय क्षेत्रफल 60% रखे तथा मानचित्र में दर्शाये गए प्लाटों को सुविधा क्षेत्र को एडजस्ट करने की सीमा तक ही रिवाईज करें । साथ ही जिन 23 सदस्यों के नाम सन् 1994 में छपी हुई सूची में अंकित है उन भूखण्डधारियों के नाम आवश्यक रूप से योजना में सम्मिलित किये जाये एवं प्राप्त संशोधित मानचित्र को पुनः विचार-विमर्श हेतु बैठक में रखा जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कॉपरेटिव/2001/डी-93
दिनांक :7-4-2001

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी)जविप्रा, जयपुर ।
4- अति॰ आयुक्त(भू-रूपान्तरण) जविप्रा, जयपुर ।
5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-1, बी-2 एवं ए-2, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
बीपीसी-।।(कॉपरेटिव)